Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding special assistance and releasing of pending funds to Bihar.

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर केपिटल एक्सपेंडिचर घोषित योजना से संबंधित बिहार राज्य की ओर आकृष्ट कना चाहता हूं । यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में घोषित की गई है । इस योजना का उद्देश्य उन राज्य सरकारों द्वारा केपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना है जो कोविड-19 महामारी के बजट से टैक्स रेवेन्यू में हुई कमी के कारण इस वर्ष राज्य कठिन वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं । सरकार ने भी केपिटल एक्सपेंडचिर के संबंध में स्पेशल असिस्टेंस देने के लिए प्रावधान किया है । 27 राज्यों के लिए 9879.61 करोड़ रुपये केपिटल एक्सपेडिचर प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है ताकि हेल्थ रूरल डेवलपमेंट, वॉटर सप्लाई, इरीगेशन, पॉवर, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन सेक्टर इत्यादि को और अधिक मजबूत किया जा सके ।

अत: इस सदन के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि बिहार राज्य को और स्पेशल असिस्टेंस देने का प्रावधान किया जाए एवं बाकी बचे सभी ग्रांट्स को यथाशीघ्र रिलीज किया जाए ।